सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 12, 2003/चैत्र 22, 1925
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 12, 2003/CHAITRA 22, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 9 अप्रैल, 2003

सं. टीएएमपी/56/2002-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण वर्ष 2002-03 के लिए तेल जेट्टी सं. 10 और 11 पर प्रहस्तित कार्गो के लिए तदर्थ घाटशुल्क दर निर्धारित करने हेतु न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/56/2002-एनएमपीटी

न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास --------------- आवेदक

आदेश

(मार्च, 2003 के 28वें दिन पारित)

यह मामला मेंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (एमआरपीएल) के लिए समर्पित जेट्टी सं. 10 और 11 पर प्रहस्तित कार्गो के लिए वर्ष 2002-03 हेतु तदर्थ घाटशुल्क दर निर्धारित करने के लिए न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है। जेट्टी सं. 10 और 11 के लिए वर्ष 2002-03 हेतु एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित तदर्थ घाटशुल्क दरें निम्नलिखित हैं :-

(i) 15 मई, 2002 तक जेट्टी सं. 10 के लिए 148.49 रुपए ; और, 16 मई, 2002 से 31 मार्च, 2003 के लिए 144.70 रुपए।

(ii) 16 मई, 2002 से 31 मार्च, 2002 तक जेट्टी सं. 11 के लिए 80.67 रुपए प्रति मी.ट.।

2.1 एनएमपीटी से प्राप्त यह प्रस्ताव एमआरपीएल को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गयाय था। एमआरपीएल ने घाटशुल्क दर के परिकलन के संदर्भ में निम्नलिखित मुख्य आपत्तियाँ उठायीं हैं :-

(i) एनएमपीटी द्वारा लिए गए यातायात आँकड़े वास्तविक नहीं हैं। यातायात अनुमान, बजट अनुमानों के स्थान पर वास्तविक आँकड़ों पर आधारित होने चाहिएं।

(ii) अधिशेष बकाया राशियों पर ब्याज लागत एनएमपीटी द्वारा अनुमानित 20.50 करोड़ रुपए के स्थान पर केवल 14 करोड़ रुपए बनती है।

(iii) निकर्षण लागत पर विचार बजट अनुमानों के स्थान पर भारतीय निकर्षण निगम (डीसीआई) के साथ हुए करार के आधार पर होना चाहिए।

(iv) ऋण वापसी राशि से मूल्यह्रास महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के निर्देशानुसार कम किया जाना चाहिए।

(v) एनएमपीटी ने जेट्टी सं. 11 के एस्क्रो खाता शेष पर ब्याज आय को नहीं लिया है।

(vi) इसने निवेश पर प्रतिलाभ को घाटशुल्क के परिकलन में लेने की अनुमति नहीं देने संबंधी अपने पूर्व मत को दोहराया है।

2.2 उपर्युक्त बातों पर विचार करते हुए, एमआरपीएल ने वर्ष 2002-03 के लिए जेट्टी सं. 10 हेतु 37.56 रुपए प्रति मी.ट. और जेट्टी सं. 11 हेतु 20.42 रुपए प्रति मी.ट. की तदर्थ दरों का सुझाव दिया है।

3.1 यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि एमआरपीएल ने इस प्राधिकरण द्वारा 19 जुलाई, 2000 को पारित आदेश के विरूद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। इसने मुख्य रूप से एनएमपीटी की परिसम्पत्तियों पर किए गए निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) को अनुमति देने संबंधी मुद्दे को चुनौती दी है।

3.2 एनएमपीटी ने भी तीन मुख्य मुद्दों अर्थात जलयान संबंधी आय की जमा वापसी, एस्क्रो खाता ब्याज की जमा वापसी और घाटशुल्क का परिकलन करते समय मूल्यह्रास की अधिकता से ऋण वापसी पर विचार करने के लिए एनएमपीटी द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर 21 मार्च, 2002 को पारित इस प्राधिकरण के आदेशों पर पुनर्विचार करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर की हैं।

4. इस मामले की संयुक्त सुनवाई 20 मार्च, 2003 को हुई थी। इस संयुक्त सुनवाई में, घाटशुल्क दर के परिकलन संबंधी विवादों के बावजूद, एनएमपीटी और एमआरपीएल दोनों लागत ब्यौरों पर विचार किए बिना और कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं में अपने अधिकारों और दावों की तरफदारी किए बिना वर्ष 2002-03 के लिए जेट्टी सं. 10 और 11 दोनों के लिए 71/- रुपए प्रति मी.ट. की तदर्थ दर के लिए सहमत हैं।

5. हालांकि वहाँ बहुत से तर्क दिए गए थे, विशेष रूप से विभिन्न लागत तत्वों और यातायात अनुमान की उपयुक्तता और स्वीकार्यता के संबंध में, परंतु एनएमपीटी और एमआरपीएल दोनों 20 मार्च, 2003 को हुई संयुक्त सुनवाई में लागत ब्योरों पर विचार किए बिना वर्ष 2002-03 के लिए वसूली करने हेतु तदर्थ रूप में प्रभारों की व्यवस्था करने पर सहमत हो गए थे। दोनों पक्षों ने वर्ष 2002-03 के लिए जेट्टी सं. 10 और 11 दोनों हेतु 71/- रुपए प्रति मी.ट. की तदर्थ घाटशुल्क दर को स्वीकार करने की अपनी इच्छा दर्शाते हुए संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित लिखित करार प्रस्तुत किया है। चूंकि पारस्परिक सहमति दर इस तथ्य की पुष्टि और मान्यता प्रदान करता है कि ऐसी दर केवल अंतिम दरों का निर्धारण होने तक अंतरिम दर के रूप में कार्य करती रहेगी, लागत सिद्धांतों और आँकड़ों पर दोनों पक्षों द्वारा शुरू में उठाई गई विभिन्न आपत्तियों का गहराई से विश्लेषण करने एवं उपयुक्तता और पहले से निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उसकी पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न लागत तत्वों की आगे जाँच करने की आवश्यकता नहीं है। अतः यह प्राधिकरण एनएमपीटी और एमआरपीएल के बीच हुई परस्पर सहमति के अनुसार वर्ष 2002-03 के लिए जेट्टी सं. 10 और 11 के लिए 71/- रुपए प्रति मी.ट. की तदर्थ दर अनुमोदित करता है।

6. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कारणों से यह प्राधिकरण वास्तविक और स्वीकार्य लागतों के आधार पर अंतिम घाटशुल्क प्रभारों का निर्धारण होने तक एनएमपीटी में जेट्टी सं. 10 और 11 के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान प्रहस्तित कार्गो पर 71/- रुपए प्रति मी.ट. की तदर्थ घाटशुल्क दर अनुमोदित करता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2003/असा.]